भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2998

दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

जलविद्युत क्षमता को समर्थन देने के लिए सीएफए योजना

†2998. श्रीमती कृति देवी देबबर्मन:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) योजना के अंतर्गत 2032 तक लक्षित क्षमता वृद्धि के ब्यौरे सहित जलविद्युत क्षमता समर्थन हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) योजना की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2018 में सौ प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण की उपलब्धि के पश्चात प्रगति की समीक्षा की है और यदि हां, तो ऐसी समीक्षा के व्यापक परिणाम क्या हैं;

(ग) क्षेत्र के सभी आठ राज्यों को जोड़ने हेतु उत्तर पूर्व गैस ग्रिड के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के अंतर्गत त्रिपुरा, मिजोरम एवं नागालैंड में हाल ही में शुरू की गई सौर और बायोमास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा इक्विटी भागीदारी के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) स्कीम को विद्युत मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 08.10.2024 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 से वर्ष 2031-32 के लिए स्कीम का कुल परिव्यय ₹4,136 करोड़ है और इससे लगभग 15,000 मेगावाट की जलविद्युत क्षमता की सहायता करने की परिकल्पना की गई है। अब तक भारत सरकार ने हियो (240 मेगावाट), तातो-I (186 मेगावाट) और तातो -II (700 मेगावाट) जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के 24% इक्विटी शेयर के लिए सीएफए की राशि क्रमश: 130.43 करोड़ रुपये, 120.43 करोड़ रुपये और 436.13 करोड़ रुपये निर्धारित की है। हालांकि अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

(ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश के सभी आबादी वाले गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों को 28 अप्रैल 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया गया था। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के दौरान कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। डीडीयूजीजेवाई के तहत और उसके बाद प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत, सभी राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण 31 मार्च 2019 तक पूरा हो गया था। सौभाग्य के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। दोनों योजनाएं दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत, भारत सरकार सौभाग्य के दौरान छूट गए घरों के ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों की सहायता कर रही है। अब तक, वितरण यूटिलिटियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, 13,65,139 घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए 6,521.85 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसमें सौभाग्य के दौरान छूट गए घर, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति

आदिवासी न्याय महाअभियान) के तहत विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) से संबंधित घर, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत अनुसूचित जनजाति से संबंधित घर, प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत अनुसूचित जाति से संबंधित घर और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों के घर, जहां भी व्यवहार्य पाया गया, शामिल हैं।

(ग) : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम राज्यों से गुजरने वाली 1688 किलोमीटर की कुल पाइपलाइन लंबाई के साथ दिनांक 17.11.2020 को उत्तर पूर्व गैस ग्रिड (एनईजीजी) परियोजना के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को अधिकृत किया है। दिनांक 30.09.2025 तक, कुल 392 किलोमीटर पाइपलाइन कमीशन कर दी गई है।

(घ) : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) पीएम जनमन और डीए जेजीयूए के तहत नई सौर ऊर्जा योजना (आदिवासी और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) को कार्यान्वित कर रहा है। योजना के तहत आदिवासी और पीवीटीजी घरों, बहुउद्देशीय केन्द्रों और आदिवासी और पीवीटीजी क्षेत्रों में सार्वजनिक संस्थानों जहां ग्रिड से संबद्ध विद्युतीकरण तकनीकी-आर्थिक रूप से संभव नहीं है, को ऑफ-ग्रिड प्रणालियां (सोलर होम लाइटिंग प्रणालियां/सोलर मिनी ग्रिड) प्रदान की गई हैं। त्रिपुरा राज्य से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एमएनआरई ने ऑफ-ग्रिड सौर पीवी प्रणालियों के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए 1703 गैर-विद्युतीकृत पीवीटीजी घरों को मंजूरी दी है, जिनमें से दिनांक 30.11.2025 तक 1293 घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

एमएनआरई की "सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं" के विकास की योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान वंकल, मिजोरम में 20 मेगावाट क्षमता का एक सौर पार्क चालू किया गया है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना जो एमएनआरई की एक प्रमुख योजना है, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड राज्यों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना मांग आधारित है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त मांग और दिखाई गई प्रगति के आधार पर क्षमताएं आवंटित की जाती हैं। लाभार्थियों के चयन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) की है।

एसआईए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 30.11.2025 तक त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड राज्य में पीएम-कुसुम के तहत भौतिक प्रगति निम्नानुसार है:

	घटक-क (नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों की क्षमता मेगावाट में)		**घटक-ख (सौर पंपों की संख्या)**		**घटक-ग (ग्रिड से जुड़े पंपों की संख्या)**	
	संस्वीकृत	**संस्थापित**	**संस्वीकृत**	**संस्थापित**	**संस्वीकृत**	**सौरीकृत**
त्रिपुरा	5	0	11,114	6,359	3,600	702
मिजोरम	0	0	1,700	40	0	0
नागालैंड	0	0	265	140	0	0

त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड राज्य में कोई बायोमास परियोजना शुरू नहीं की गई है।

****